न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
10/2020	23/11/2020	25.11.2025

रामचरण पुत्र श्री गोवर्धनलाल जाति मीणा नि० इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज०।

अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– श्री प्रद्युम्न शर्मा एड०।

प्रार्थना पत्र बाबत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कि कृषि आराजी ख०नं० 1251 रकबा 0.25है०, ख०नं० 1252 रकबा 1.00है०, ख०नं० 3037/1251 रकबा 0.19हे० वाके माल ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा भू०अभि०निरी० क्षेत्र इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित है। उक्त कृषि आराजी पर वर्तमान में कृषि कार्य एवं आने जाने हेतु कोई भी रास्ता विद्यमान नहीं है। जिससे प्रार्थी को कृषि कार्य करने बाबत परेशीन का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी की कृषि आराजी के समीम ख०नं० 1250 सिवायचक भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी पूर्व से ही रास्ते का अपने कृषि कार्य व अपने जाने हेतु उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी के ख०नं० 1251, 1252, 3037/1251 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज अंकन है। उक्त खसरा नम्बरान की कृषि आराजी पर कृषि कार्य हेतु समीप में स्थित ख०नं० 1250 सिवायचक भूमि में से प्रार्थी अपनी कृषि आराजी तक कृषि कार्य एवं आने जाने हेतु 251 आर०टी०एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कृषि कार्य हेतु रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित एवं समीचीन है एवं न्यायहित में अतिआवश्यक है। प्रार्थी अपनी कृषि आराजी को करने हेतु कृषि यंत्रो एवं हकाई–जुताई करने में बाधाओं का सामना करना पडता है। प्रार्थी सरकारी मापदण्डों के अनुसार अपनी कृषि आराजी तक रास्ते हेतु उचित शुल्क जमा करने हेतु तत्पर है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी श्रीमान के यहां उक्त कृषि आराजी के रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थ को समीप स्थित अप्रार्थी की भूमि ख०नं० 1250 सिवायचक ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा भू०अभि०निरी० क्षेत्र इटावा तह० पीपल्दा में से अपने खेत कृषि आराजी ख०नं० 1251, 1252, 3037/1251 तक कृषि कार्य एवं

आने–जाने हेतु रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0 द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जर्ये सम्मन की गई। जवाव सरकार प्राप्त है जो अग्रलिखित है। उक्त प्रकरण ग्राम इटावा की आराजी ख0नं0 1251 रकबा 0.25है0, ख0नं0 1252 रकवा 1.00है0, ख0नं0 3037/1251 रकवा 0.19ह0 भूमि खातेदार रामचरण पुत्र पुत्र गोरधन हि0 पूर्ण जाति मीना सा0 इटावा से संबंधित है। मुताबिक राजस्व नक्शा शीट प्रार्थी के उक्त ख0नं0 1251, ख0नं0 3037/1251 इटावा गेता बाईपास मुख्य सडक पर स्थित है।

बहस सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। जवाब सरकार दिनांक 25.07.2024 के अनुसार वादी के खातेदारी ख0नं0 1251, 3037/1251 इटावा गेता बाईपास मुख्य सडक पर स्थित होने से वादी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने में किस प्रकार की असुविधा है। यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अतः रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 251 ए खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा